# कार्यालय जिलाधिकारी, कुशीनगर

पत्रांक 1933 /10-1 दिनांक, पडरौना, फरवरी 26 /2026

सेवा में

अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रधान पीठ, नई दिल्ली।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा निस्तारित ओ0 ए0 संख्या–70/2026 आशीष सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य प्रकरण का आदेश दिनांक 06.02.2026 के अनुपालन रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर पूर्वक अवगत कराना है की मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा निस्तारित ओ0ए0 संख्या 70/2026 आशीष सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य प्रकरण का आदेश दिनांक 06.02.2026 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के पत्र संख्या 1888/16एफ–1 दिनांक 17.02.2026 से गठित जांच समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये जांच आख्या से सहमति जताते हुए आख्या संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

जिलाधिकारी,
कुशीनगर

संख्याः– / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, सा0वा0 प्रभाग, कुशीनगर।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, गोरखपुर।
4. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, कुशीनगर।
5. श्री आशीष सिंह, याचिकाकर्ता, ओ0ए0 सं0–70/2026

जिलाधिकारी,
कुशीनगर

NATIONAL GREEN TRIBUNAL
Principal Bench, New Delhi
Receipt & Issue Branch
Received
09 MAR 2026
Dairy No.....
Signature.....

## –:जॉच आख्या:–

## मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा निस्तारित ओ0ए0 संख्या 70/2026 आशीष सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य प्रकरण का आदेश दिनांक 06.02.2026 के अनुपालन हेतु आपके द्वारा गठित समिति की आख्या

**महोदय,**

कृपया आपके कार्यालय के पत्र संख्या 1888/16एफ–1 दिनांक 17.02.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके सम्बन्ध में ओ0ए0 संख्या 70/2026 आशीष सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य प्रकरण का आदेश दिनांक 06.02.2026 के बिन्दु संख्या 08 जो निम्नवत् है :–

*"Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPPCB), District Magistrate, Kushinagar and Divisional Forest Officer, Kushinagar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action by following due course of law and to submit its report within one month to this Tribunal and send a copy of the report to the concerned authorities who shall be bound to take appropriate action in accordance with law and Principles of Natural Justice by giving opportunity of being heard to the concerned project proponent and to submit action taken report within next one month."*

में दिये गये निर्देश के अनुपालन में जांच समिति गठित कर जांच आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में दिनांक 23.02.2026 को चार सदस्यीय टीम क्रमशः (1) श्री मो0 जफर उप जिलाधिकारी न्यायिक, कुशीनगर (2) श्री जितेन्द्र कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी, कुशीनगर (3) श्री पी0पी0 सिंह, सहायक पर्यावरण अभियंता, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर (4) श्री शुभम कुमार, जे0आर0एफ0, जिला पर्यावरण समिति, कुशीनगर द्वारा मौके की स्थलीय जांच किया गया। श्री आशीष सिंह याचिकाकर्ता तथा प्रस्तावित गौ संरक्षण केन्द्र जोकि पशुपालन विभाग द्वारा निमार्णाधीन है की ओर से श्री डा0 जावेद अहमद, पशु चिकित्साधिकारी, कुबेरस्थान मौके पर उपस्थित रहें। जांच समिति की आख्या निम्नवत् है :–

**राजस्व विभाग:–** ग्राम पंचायत प्रस्ताव दिनांक 29.01.2024 के क्रम में पत्रांक 724 दिनांक 01.07.2024 जिलाधिकारी, कुशीनगर शासनादेश संख्या–744/एक.01.2016–20(5)/2016 राजस्व अनुभाग–1 दिनांक 03.06.2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये उ0प्र0रा0सं0 2006 की धारा 59 की उप धारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0रा0सं0 नियमावली 2016 के नियम 55 तथा शासकीय अधिसूचना संख्या–740/एक–1–2016–20(05)/2016 दिनांक 03 जून 2016 का संशोधित अधिसूचना संख्या 687/एक–01–2020–20(05)/2016 दिनांक 06.07.2020 द्वारा ग्राम कोहरवलिया के गाटा संख्या 537/1.000 हे0 बंजर/श्रेणी 5–3–ड गौ संरक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि पुर्नग्रहित किया गया है।

**पशुपालन विभाग:–** निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या 1415/सा0–2/XII–619(भाग–3)/2024–25 दिनांक 26.06.2024 द्वारा नवीन गौ संरक्षण केन्द्र के स्थापना हेतु भूमि चिन्हांकन/पुर्नग्रहित किये जाने का निर्देश प्राप्त है, जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या 724/भूमि सुधार/पु0ग्र0आ0/2024 दिनांक 01.07.2024 द्वारा तहसील पडरौना के ग्राम कोहरवलिया में गाटा संख्या 537/क्षे0 1.000 हे0 भूमि की श्रेणी–बंजर 5–3–ड भूमि गौ संरक्षण केन्द्र के निमार्ण हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कुशीनगर द्वारा अपने पत्र संख्या 296/स्था0–2/2024–25 दिनांक 01.07.2024 द्वारा निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त गौ संरक्षण निमार्ण हेतु निर्माण भूमि का चिन्हाकन/पुर्नग्रहित कर प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। तत् पश्चात निदेशक महोदय पशुपालन विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या 2020/सा0–2/XII–619 (भाग–3)/2024–25 दिनांक 14.10.2024 द्वारा कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड(यू0पी0सी0एल0डी0एफ0) को नामित करते हुये गौ संरक्षण केन्द्र निर्माण हेतु प्रथम किस्त की धनराशि रु0 80.00 लाख (अस्सी लाख रू0 मात्र) अवमुक्त किया गया है।

ग्राम कोहरवलिया में वृहद गौ संरक्षण केन्द्र निर्माण हेतु चिन्हित भूमि में लगे वृक्ष का मूल्यांकन कराने हेतु मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कुशीनगर के पत्र संख्या 1266/वृ0गो0सं0के0/2024–25 दिनांक 25.01.2025 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी कुशीनगर को पत्र प्रेषित किया गया। ग्राम प्रधान कोहरवलिया के आवेदन दिनांक 27.02.2025 द्वारा उक्त गौ संरक्षण केन्द्र में लगे हुये वृक्षों का मूल्यांकन के उपरान्त नीलामी किये जाने की अनुमति हेतु उप जिलाधिकारी पडरौना से अनुरोध किया गया था। नीलामी अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कुशीनगर के पत्र संख्या 369/वृ0गो0सं0के0/2025–26 दिनांक

27.06.2025 द्वारा अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड(यू0पी0सी0एल0डी0एफ0) प्रखण्ड गोरखपुर को प्रथम किस्त की धनराशि रु0 80.00 लाख (अस्सी लाख रू0 मात्र) हस्तान्तरित करने के उपरान्त निर्धारित अवधि में वृहद गौ संरक्षण केन्द्र की निर्माण कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड ने अपने पत्र संख्या 286/यू0पी0सी0एल0डी0एफ0/ 2025–26 दिनांक 20.12.2025 द्वारा तहसील–पडरौना के ग्राम कोहरवलिया में प्रथम किस्त की धनराशि रु0 80.00 लाख (अस्सी लाख रू0 मात्र) के सापेक्ष शतप्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। उक्त के क्रम में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कुशीनगर द्वारा अपने पत्र संख्या 1474/लेखा/भवन/2025–26 दिनांक 20.02.2026 द्वारा त्रिस्तरीय कमिटी निर्धारित कर उक्त गौ संरक्षण केन्द्र की गुणवकत्ता की जांच हेतु नामित किया गया है, जो अभी प्रकियाधीन है। कटे वृक्षों से हुये पर्यावरणीय क्षरण को पूरा करने के लिए मियावाकी पद्धति से विभागीय वृक्षारोपण अगामी वर्षाकाल–2026 में कराकर वन स्थापना करायी जायेगी।

**वन विभाग** :–ग्राम–कोहरवलिया, तप्पा–चौरा बड़गांव, तहसील–पडरौना, जिला–कुशीनगर में मौके पर पहुचकर स्थलीय जांच/परीक्षण किया गया। गाटा संख्या–537 के रकबा–1.00 हे0 में वृहद गौ संरक्षण केन्द्र (गौशाला) की स्थापना हेतु भूमि चिन्हित की गयी, जिसके क्रम में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, कुशीनगर ने अपने पत्रांक–1266/वृ0ग0सं0के0/2024–25 दिनांक 25.01.2025 के माध्यम से वृहद गौ संरक्षण केन्द्र हेतु चिन्हित भूमि पर खड़े वृक्षों के मूल्यांकन किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में ग्राम प्रधान कोहरवलिया द्वारा भी दिनांक 06.02.2025 को मूल्यांकन हेतु आवेदन किया गया। आवेदन पत्र की जांच हेतु **इस कार्यालय के पत्र संख्या–1813/37–1 दिनांक 06.02.2025** से क्षेत्रीय वन अधिकारी पडरौना को जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी पडरौना द्वारा वृक्षों का मूल्यांकन जांच रिपोर्ट पत्र संख्या–मेमो/37–1 दिनांक 21.02.2025 द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसमें कुल 135 वृक्ष (सिरस, कुकाठ, ताड़, गुलर, आम, बड़हर, महुआ, अशोक, बेर, जामुन, पीपल, सेमल, बेल आदि) के वृक्ष बाधक पाये गये है, जिनका नियमानुसार मूल्यांकन कर धनराशि मु0 205100.00 रूपये दो लाख पांच हजार एक सौ मात्र विभागीय अनुसूचित दर के अनुसार आगणन पत्र सम्बन्धित को प्रेषित किया गया है।

उक्त आगणन रिपोर्ट के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, कुशीनगर द्वारा पत्रांक–1957/37–1 दिनांक 24.02.2025 से श्री सुरेन्द्र गुप्ता (ग्राम प्रधान) ग्राम–कोहरवलिया, पोस्ट–कुबेरस्थान, थाना–कुबेरस्थान, जिला–कुशीनगर को **135 वृक्षों** को नीलामी कराने हेतु मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित किया गया एवं यह भी अवगत कराया गया कि नीलामी के उपरान्त ही वृक्षों को काटने हेतु इस कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र में वांछित अभिलेख पूर्ण कर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करें, ताकि पातन अनुज्ञा पत्र जारी किया जा सके।

उक्त वृक्षों की नीलामी श्री इन्द्रजीत शर्मा पुत्र श्री बालकुवंर शर्मा, ग्राम–कोहरवलिया, पोस्ट–कुबेरस्थान, थाना–कुबेरस्थान, जिला–कुशीनगर के द्वारा ली गयी। क्रेता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पातन अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया गया, जिसके क्रम में पर्यावरणीय क्षति को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम बार–केवल 50 वृक्षों के पातन हेतु पातन अनुज्ञा पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, कुशीनगर के पत्र संख्या–438/37–1 दिनांक 27.08.2025 से जारी किया गया आवेदक श्री इन्द्रजीत शर्मा को पुनः पत्र संख्या–1784/37–1 दिनांक 04.02.2026 द्वारा 50 वृक्षों का पातन अनुज्ञा जारी किया गया है। उक्त आदेश के क्रम में क्रेता द्वारा 100 वृक्षों का पातन कर लिया गया है, शेष 35 वृक्षों का पातन हेतु क्रेता द्वारा पातन अनुज्ञा शुल्क जमा नहीं किया गया है। जिसके कारण 35 वृक्षों का अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया गया है। यहॉ पर यह उल्लेख करना समाचीन होगा कि, उक्त 135 बाधित वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगे थे, विकास कार्यो की बाध्यता के दृष्टिगत पातन अनुज्ञा जारी की गयी।

**उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोरखपुर** :–ग्राम–कोहरवलिया, तप्पा–चौरा बड़गांव, तहसील–पडरौना, जिला–कुशीनगर में जांच किया गया। गाटा संख्या–537 के रकबा–1.00 हे0 में निर्माणाधीन वृहद गौ संरक्षण केन्द्र (गौशाला) के निर्माण होने के उपरान्त संरक्षित गौ वंशों का अपशिष्ट मल और अपशिष्ट जल निकटस्थ भूपसागर पोखर में प्रवाहित नहीं किया जाय। निर्माणाधीन गौ संरक्षण केन्द्र हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाय कि गौ संरक्षण केन्द्र से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र की स्थापना भी आवश्यक है।

**निष्कर्ष :–**

मौके पर स्थलीय सत्यापन के दौरान याचिकाकर्ता श्री आशीष सिंह, निवासी–प्रानछपरा (बड़गांव) मौजूद रहे। उनके अनुसार प्रस्तावित स्थल पर सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्ष थे, जो कि सुक्ष्म प्राकृतिक वन

(इकोसिस्टम) मौजूद था, जिसे उक्त परियोजना के कारण नष्ट कर दिया गया है। वन विभाग द्वारा जारी पातन अनुज्ञा में इस तथ्य का ध्यान रखा गया है कि किसी भी प्रकार के प्रतिबन्धित वृक्षों का अवैध पातन न हो तथा मौके पर इस प्रकार के किसी वृक्ष को नहीं गिराया गया है, जिससे सुक्ष्म प्राकृतिक वन नष्ट होना दृष्टिगत हो। प्रस्तावित स्थल के बगल में भूपसागर पोखर स्थित है तथा पोखर के चारों तरफ भीटा (ऊंची मिट्टी) स्थापित है। अतः जलाशय को किसी प्रकार का कोई नुकसान मौके पर नहीं दिखा है।

पशुपालन विभाग द्वारा प्रस्तावित गौशाला में गौ अवशेष से खाद गड्ढ़े का निर्माण किया जायेगा एवं ओपेन ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशुपालन विभाग द्वारा वर्षाकाल–2026 में आवंटित पौधरोपण लक्ष्य के सापेक्ष गौशाला स्थल पर निर्माण के अतिरिक्त बची हुई भूमि पर बाड़ लगाकर पौधरोपण कार्य कराना उचित होगा।

अतः समिति द्वारा उक्त स्थान पर हुये वृक्षों के पातन से पर्यावरणीय क्षरण के प्रतिपूर्ति हेतु निम्न सुझाव प्रस्तावित किया जाता है:–

(i) गौशाला पर निर्माण के अतिरिक्त भू–भाग पर पशुपालन विभाग द्वारा मियावाकी पद्धति से वृहद वृक्षारोपण कराया जाय, जिससे पोखर के चारों तरफ पारिस्थितिकी एव पर्यावरणीय क्षरण को पूर्ति किया जा सके।

(ii) जलाशय/पोखरा के चारों ओर खाली स्थान पर आगामी वर्षाकाल–2026 में वृक्षारोपण किया जाना उचित होगा।

(iii) गौशाला केयरटेकर द्वारा उक्त नवरोपित पौधों की देख–भाल/रखरखाव की जाये, यह पशुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अतः जांच आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

| (शुभम कुमार) | (पी0 पी0 सिंह) | (ए0 के0 सिंह) | (जितेन्द्र कुमार) | (मो0 जफर) |
|---|---|---|---|---|
| जे0आर0एफ0 | सहायक पर्यावरण अभियंता, | मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, | उप प्रभागीय वनाधिकारी, | उप जिलाधिकारी, |
| जि0पर्या0स0, | उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, | कुशीनगर | कुशीनगर | न्यायिक, कुशीनगर |
| कुशीनगर | गोरखपुर | | | |

# कार्यालय जिलाधिकारी, कुशीनगर

पत्रांक 1888 /16F-1 दिनांक, पडरौना, फरवरी 17 /2026

## कार्यालय–आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा निस्तारित ओ0 ए0 संख्या–70/2026 आशीष सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य प्रकरण का आदेश दिनांक 06.02.2026 के द्वारा अनुपालन आख्या एक माह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। आदेश दिनांक 06.02.2026 के **बिन्दु संख्या–08** में दिये गये निर्देशानुसार निम्न प्रकार चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाता है।

| क्र०स० | सदस्य का नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Sh Mohd. Zafar | Dy Collector |
| 2. | श्री जितेन्द्र कुमार | उप प्रभागीय वनाधिकारी, कुशीनगर |
| 3 | श्री आशुतोष चौहान | क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर |
| 4 | श्री शुभम कुमार | जे0आर0एफ0, जिला पर्यावरण समिति, कुशीनगर |

संलग्नक– आदेश दिनांक 06.02.2026 की छायाप्रति।

जिलाधिकारी
कुशीनगर

संख्या : 1888 /उक्तदिनांकित।

**प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, कुशीनगर।
3. जांच समिति के समस्त सदस्यों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त प्रकरण की जांच कर जांच रिपोर्ट तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. श्री आशीष सिंह (प्रतिवादी) ओ0 ए0 संख्या–70/2026।

जिलाधिकारी
कुशीनगर

Item No. 05 Court No. 2

**BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**
**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 70/2026

Ashish Singh Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. Respondents

Date of hearing: 06.02.2026

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER**
**HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Applicant: Mr. Ashish Singh-Applicant in person (through V.C.).

**ORDER**

1. Mr. Ashish Singh made the present complaint dated 29.08.2025 to this Tribunal on Public Grievances Portal, which has been treated and registered as O.A. No. 70/2026 for exercise of suo moto jurisdiction in view of law laid down by Hon'ble Supreme Court in ***Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha, (2022) 13 SCC 401.***

2. The relevant part of the complaint enumerating grievances of the applicant is reproduced as follows:-

*xxx.....xxx.....xxx*

*"विषयः उत्तर प्रदेश, कुशीनगर जनपद, तहसील पड़रौना के कोहरवलिया ग्राम पंचायत में सुक्ष्म वन के प्राचीन पेड़ों को काटे जाने के सम्बन्ध में अवगत कराने एवं तत्काल हस्तक्षेप पर कटान रोकने के सम्बन्ध में।*
*महोदय, ग्राम पंचायत कोहरवलिया स्थित गाटा संख्या 537 में प्राचीन पेड़ो से निर्मित एक सुक्ष्म जंगल है। इसमें पीपल, बरगद, जामुन, गुलर, पाकड़ जैसे पर्यावरण महत्व के सैकड़ो पेड़ हैं जिनकी आयु 100 वर्ष के लगभग है। हाल ही में जिलाधिकारी कार्यालय के परवाना पत्रांक 724/01-07-*

*24 द्वारा उक्त भूमि को बंजर भूमि / श्रेणी 5-3-ड घोषित करते हुवे गौ संरक्षण केन्द्र (गौशाला) निर्माण हेतू पुर्नग्रहण (अधिग्रहण) का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश का हवाला उ०प्र० रा०सं० 2006 की धारा 59 (4) (ग) एवं अन्य शासनादेशों के तहत दिया गया है।*
*प्रशासनिक आदेशों में भुमि को बंजर बताया गया है जबकि वास्तविकता यह है की वहां एक स्थापित सूक्ष्म प्राकृतिक वन (इकोसिस्टम) पहले से मौजूद है। यह तथ्यात्मक त्रुटि पुरे आदेश को दोषपूर्ण बनाती है जिसके कारण पर्यावरण महत्व के इतने पेड़ काटे जाने हैं। यह क्षेत्र का एकलौता प्राकृतिक सुक्ष्म वन है, और ऐतिहासिक भुपसागर पोखरे के पास है। विकास के नाम पर इसका विनाश एक अपूर्णनीय क्षति होगी।*
*अतः तत्काल प्रभाव से इस वन और प्राचीन पेड़ो का कटान रोका जाना जरूरी है। "*

3. English translation made by the Registry of this Tribunal of the relevant part of the complaint reads as under:-

> *"Subject: Regarding informing about the cutting of ancient trees of a micro-forest in Koharwaliya Gram Panchayat, Kushinagar District, Uttar Pradesh, and requesting immediate intervention to stop the felling.*
> *Sir,*
> *In the Gram Panchayat area, on Gata No. 537, there exists a micro-forest formed by ancient trees. It contains hundreds of environmentally significant trees such as peepal, banyan, jamun, gular, and pakad, whose age is approximately 100 years. Recently, vide permit letter no. 724 dated 01.07.24 issued by the District Magistrate's office, the said land has been declared barren land/Category 5-3-5 and an order has been issued for re-acquisition (acquisition) of the land for the construction of a cow protection centre (gaushala). This order has been issued with reference to Section 59(4)(g) of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006, and other government orders.*
> *In the administrative orders, the land has been described as barren, whereas in reality an established natural forest (ecosystem) already exists there. This factual error renders the entire order defective, as a result of which so many environmentally important trees are to be cut. This area is the only natural micro-forest of the region and is located near the historic Bhupsagar Pond. Its destruction in the name of development would be an irreparable loss. Therefore, it is essential that the cutting of this forest and the ancient trees be stopped with immediate effect."*

4. The Applicant has appeared before this Tribunal in person.

5. We have heard submissions made by the Applicant and gone through the O.A. and documents attached with the same.

6. The averments made in the O.A. *Prima facie* raise substantial questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule-I to the National Green Tribunal Act, 2010.

7. In view of the facts and circumstances of the case, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted with direction to verify the factual position and to suggest appropriate remedial measures and to send copies of its report to the concerned authorities for taking appropriate action in accordance with environmental laws/norms applicable to the activity in question.

8. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPPCB), District Magistrate, Kushinagar and Divisional Forest Officer, Kushinagar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action by following due course of law and to submit its report within one month to this Tribunal and send a copy of the report to the concerned authorities who shall be bound to take appropriate action in accordance with law and Principles of Natural Justice by giving opportunity of being heard to the concerned project proponent and to submit action taken report within next one month.

9. The District Magistrate, Kushinagar will be the nodal agency for coordination and compliance regarding submission of the report of the Joint Committee and filing of action taken reports by the concerned authorities.

10. Report by the Joint Committee and action taken reports by the concerned authorities may be filed as directed above before the learned Registrar General of this Tribunal, who shall be at liberty to place the matter before the Bench if further orders are considered to be necessary.

11. The District Magistrate, Kushinagar is directed to ensure requisite compliance and submission of reports within specified period and in case of non-compliance, exemplary costs may be imposed by this Tribunal on the District Magistrate, Kushinagar and concerned officers/authorities.

12. The present original application is disposed of accordingly.

13. However, in the eventuality of the applicant or concerned project proponent having any grievances against the report of the Joint Committee or action taken by the concerned authorities, the Applicant or the concerned project proponent may move this Tribunal by way of appropriate proceedings for such further orders as may be considered necessary.

14. A copy of this order may be sent to the Member Secretary, Uttar Pradesh State Pollution Control Board, District Magistrate, Kushinagar and the Divisional Forest Officer, Kushinagar by email for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

February 06th, 2026
Original Application No. 70/2026
AB

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow –226010
Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ संख्या H 38470 /सी.-6/सा0-1051/ओ0ए0 नं0-70/2026/गोरखपुर/2026 दि0 25/02/26

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/
ई-मेल द्वारा

सेवा में,

| | |
|---|---|
| 1.जिलाधिकारी,<br>कुशीनगर | 2.प्रभागीय वन अधिकारी,<br>कुशीनगर। |

विषयः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-70/2026 आशीष सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.02.2026 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-70/2026 आशीष सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.02.2026 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः-

*".....7. In view of the facts and circumstances of the case, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted with direction to verify the factual position and to suggest appropriate remedial measures and to send copies of its report to the concerned authorities for taking appropriate action in accordance with environmental laws/norms applicable to the activity in question.*

*8. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPPCB), District Magistrate, Kushinagar and Divisional Forest Officer, Kushinagar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action by following due course of law and to submit its report within one month to this Tribunal and send a copy of the report to the concerned authorities who shall be bound to take appropriate action in accordance with law and Principles of Natural Justice by giving opportunity of being heard to the concerned project proponent and to submit action taken report within next one month.*

Scanned with OKEN Scanner

9. *The District Magistrate, Kushinagar will be the nodal agency for coordination and compliance regarding submission of the report of the Joint Committee and filing of action taken reports by the concerned authorities.....*"

मा0 अधिकरण द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रभागीय वन अधिकारी एवं जिलाधिकारी, कुशीनगर की एक संयुक्त समिति गठित करते हुये समिति द्वारा 01 माह में रिपोर्ट मा0 अधिकरण में दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री आशुतोष सिंह चौहान, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को उक्त संयुक्त समिति का सदस्य नामित किया जाता है, जिनका मोबाईल नं0-8858321685, ई-मेल **rogorakhpur@uppcb.in** है।

अतः उपरोक्तानुसार मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2026 की छायाप्रति संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

संलग्नकः-यथोपरि।

Digitally signed by Sanjeev Kumar Singh
Date: 24-02-2026 11:03:04

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विधि अधिकारी, (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संयुक्त समिति के अन्य सदस्यों से समन्वय स्थापित करते हुये मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

Scanned with OKEN Scanner

# उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 18869620250160

ग्राम क्रमांक : 188696 ग्राम का नाम (परगना) : कोहरवलिया त. चौराब(सिधुआ जोवना) तहसील : पडरौना जनपद : कुशीनगर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)
भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00530

श्रेणी : 5-3-ङ / अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि

| खातेदार का विवरण | | खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण | | भूमि का विवरण | | खातेदार का अंश | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खसरा/ गाटा संख्या | (2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु) | (3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार | (4) वर्ष | (5) गाटा (यूनीक कोड) | (6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.) | (7) हिस्से में | (8) क्षेत्रफल में (हे.) | (9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व |
| 537 | 1) बंजर/./नि. ग्राम | | 1390 | 537(1886960537000057) | 1.1970 | 1) 1/1 | 1) 1.1970 | 0.00 |
| | | | | | | | 1.1970 | |

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव एक नौ सात शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - एक दशमलव एक नौ सात शून्य (हेक्टेयर)

| नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण | खारिज किया गया | | | दर्ज किया गया | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक | (11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु) | (12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड | (13) क्षेत्रफल (हे.) | (14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु) | (15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड | (16) क्षेत्रफल (हे.) |
| | | | | | | |

1) न्यायालय द्वारा दिक्री : परवाना से पत्रांक 724/01.07.24 जिलाधिकारी कुशीनगर शासनदेश सं0 744/एक.01.2016-20 (5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 दिनांक 03.06.2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ0प्र0 रा0सं02006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0रा0सं0 नियमवाली 2016 के नियम 55 तथा शासकीय अधिसूचना सं0 -740/एक-1-2016-20 (5)/2016दिनांक 3 जून 2016 का संशोधित अधिसूचना सं0 687/एक-01-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06.07.2020द्वारा ग्राम कोहरवलिया के गाटा स0 537/1.000हे0 बंजर / श्रेणी 5-3-ड गी संरक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि पुनग्रहित की जा रही है। (डिजिटल हस्ताक्षर : ARVIND KUMAR/23-01-2025 )

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) उ0प्र0 जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम- 1950 की धारा-117 की उपधारा-(6) के प्राप्त शक्तियों प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 258/रा0- 1-16(1)-73 दिनांक 07 मई 1981 तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, रिंजियान सैम्फिल, जिलाधिकारी कु शीनगर संलग्न अनुसूची में उल्लिखित को

2) जो अबतक अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्रामसभा में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। ----------अनुसूची---------- क्र 0सं0 जिला तहसील परगना गांव 1 कु शीनगर पडरौना सि0जो0 कोहरवलिया ग्रामसभा प्लाट सं0 क्षेत्रफल

3) कोहरवलिया 537 1.197 विवरण प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है। विकास खण्ड कु बेरस्थान के निर्माण हेतु। यदि भूमि निर्धारित उद्देश्य के प्रयोग में तीन वर्ष के अन्दर नहीं लायी जायेगी अथवा इतर प्रयोग में लायी

4) जाती है तो उक्त भूमि स्वत : ग्रामसभा को वापस हो जायेगी।

| | | |
|---|---|---|
| **Data Digitally Signed by: ARVIND KUMAR (REVENUE INSPECTOR INCHARGE)**<br>**दिनाँक/समय/स्थान: 23-01-2025 06:44:37 तहसील : पडरौना**<br>यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। | मुद्रित कर्ता : VIJAY KUMAR तहसील : पडरौना<br>मुद्रित दिनांक एवं समय: 23-01-2025 06:44:37<br>Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है। | रा० नि० (कार्यालय) तहसील-पडरौना<br>NATIONAL INFORMATICS CENTRE |

# नजरी नक्शा




ग्राम- कोहावलिया तप्पा- चौरा परगना तह०- पडरौना
जिला- कुशीनगर बाबत गाटा सं० 537/1.197हे०

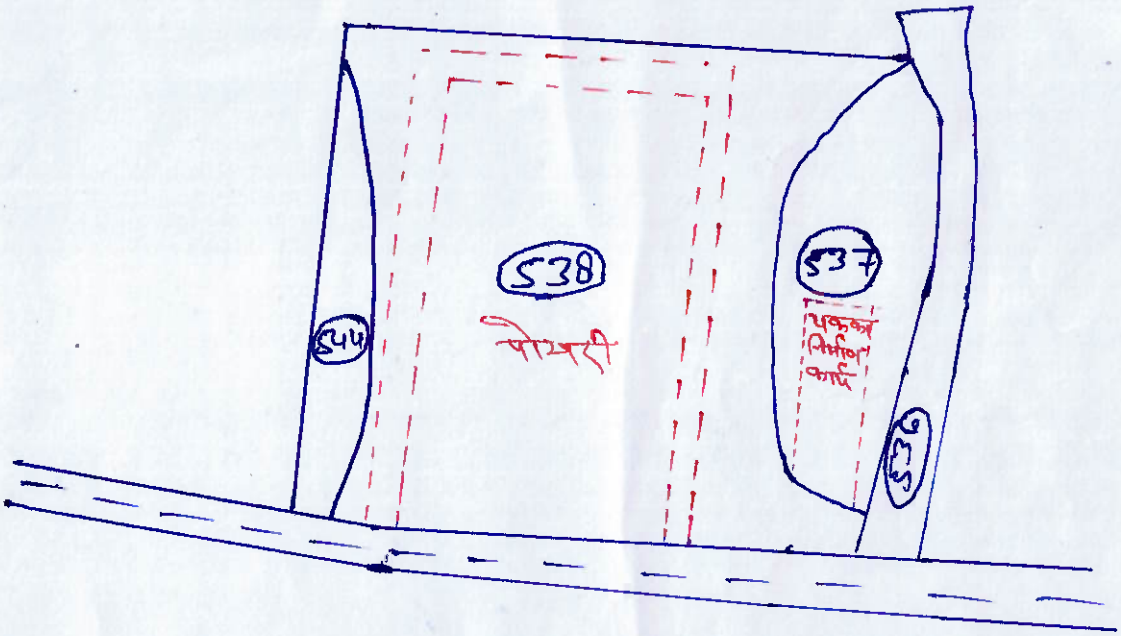

[illegible]/2023/(23-24)

सम्यक् विचार विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा मानकीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव को रू0 160.12 लाख की लागत पर निम्नवत् अनुमोदित किया गया

| S. No | DESCRIPTION | प्रस्तावित लागत UPRNSS QTY | RATE | AMOUNT IN LACS | UPCLDF QTY | RATE | AMOUNT IN LACS | अनुमोदित लागत FFC | | AMOUNT IN LACS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATTLE SHED | 4.00 | 21.85 | 87.41 | 4.00 | 20.25 | 81.00 | 4.00 | 20.72 | 82.88 |
| 2 | HAY GOWDOWN | 1.0 | | 11.52 | | | 11.14 | | | 12.67 |
| 3 | OFFICE BUILDING | | | 7.24 | | | 6.58 | | | 7.24 |
| 4 | CHARANIYA | | | 3.04 | | | 2.54 | | | 3.04 |
| 5 | BORING AND SUMERSIBLE | | | 3.74 | | | 4.71 | | | 3.74 |
| 6 | BRICK SOLING (ROAD) | | | 4.81 | | | 5.06 | | | 4.81 |
| 7 | OPEN SURFACE DRAIN | | | 4.36 | | | 5.64 | | | 4.36 |
| 8 | CATTLE CRUSH | | | 0.08 | | | 0.08 | | | 0.08 |
| 9 | EXTERNAL WATER SUPPLY AND SEWERAGE | | | 2.20 | | | 2.11 | | | 2.2 |
| 10 | BARBED WIRE FENCING ON RCC POST | | | 0 | | | 2.86 | | | 2.86 |
| 11 | GATE | | | 0 | | | 0.64 | | | 0.64 |
| 12 | TOTAL | | | 126.41 | | | 122.36 | | | 124.52 |
| 13 | Contingency | 126.41 | 1% | 1.13 | क्रमांक–22 पर | | 0.00 | 124.52 | 1% | 1.25 |
| 14 | total | | | 127.54 | | | 122.36 | | | 125.76 |
| 15 | LESS 5 % | 127.54 | -5% | -6.38 | 122.36 | -5% | -6.12 | 125.76 | -5% | -6.29 |
| 16 | TOTAL | | | 121.16 | | | 116.24 | | | 119.47 |
| 17 | CENTAGE 12.5% | 121.16 | 12.50% | 15.14 | 116.24 | 12.50% | 14.53 | 119.47 | 10.00% | 11.95 |
| 18 | LABOUR CESS 1 % | 121.16 | 1% | 1.21 | 116.24 | 1% | 1.16 | 119.47 | 1% | 1.19 |
| 19 | GST 18 % | 121.16 | 18% | 21.81 | 130.77 | 18% | 23.54 | 119.47 | 18% | 21.51 |
| 20 | EXTERNAL ELECTRIC CONNECTION | | | 1.00 | | | 1.00 | | | 1.00 |
| 21 | SOLAR BACK UP | | | 5.00 | | | 5.00 | | | 5.00 |
| 22 | contingency | क्रमांक–13 पर | | 0.00 | | | 1.16 | क्रमांक–13 पर | | 0.00 |
| 23 | TOTAL | | | 165.33 | | | 162.63 | | | 160.12 |

22.6.2023

( इं० राजेश कुमार )
निदेशक
प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र०
योजना भवन, लखनऊ

22/06

(डा० [illegible] दुबे)
अपर मुख्य सचिव,
दुग्ध विकास, [illegible]

कोड 06/20-06-2023/(23-24)

समिति द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

1. प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।
2. प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार रास्ता यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
4. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
5. प्रशासकीय विभाग द्वारा इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।
6. प्रशासकीय विभाग द्वारा मानकीकरण सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किया जाय।
7. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासनिक विभाग का होगा।
8. प्रायोजना की लागत का अनुमोदन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

22.6.2023

( इं० राजेश कुमार )
निदेशक
योजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र०
योजना भवन, लखनऊ

22/06

(डा० रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव,
दुग्ध विकास, मत्स्य तथा पशुधन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

9. आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे–नये कार्य बढ़ाना, मात्राओं एवं विशिष्टियों में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराया जाय।

10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

**(कार्यवाहीः पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन)**

22.6.2023
(इं0 राजेश कुमार)
निदेशक, पी0एफ0ए0डी0
सदस्य–संयोजक

22/06
(वहीद बख्श)
मुख्य अभियंता (भवन),
लो0नि0वि0– सदस्य

22/6/23
(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव,
पशुधन विभाग – सदस्य

**(दीपक कुमार)**
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त
अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति

प्रेषक

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास/विभागाध्यक्ष,
पशुपालन विभाग,उ0प्र0,
लखनऊ।

अति आवश्यक/महत्वपूर्ण

सेवा में

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
जनपद अलीगढ, औरैया, अयोध्या, बदायूँ, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, भदोही, बिजनौर, चंदौली, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हाथरस, कन्नौज, कुशीनगर, मऊ, मैनपुरी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कौशाम्बी, सहारनपुर, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, कानपुर देहात, शामली रायबरेली, वाराणसी तथा झाँसी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 1415/ सा0-2/ XII-619(भाग-3)/2024-25, दिनांक- 26-06-2024

विषय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में गो संरक्षण केन्द्रो की स्थापना योजनातर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष नवीन गो संरक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि चिन्हांकन/पुर्नग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-1326/सा0-2/XII-619(भाग-3) /2024-25, दि0 10.06.2024 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना योजनातर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष जनपद में निराश्रित गोवंश के सरक्षण हेतु गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना की जानी है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में आय-व्ययक में अनुदान सख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय-04 गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना के अन्तर्गत मानक मद-24-वृहत निर्माण कार्य हेतु कुल रू0 14000.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अद्यतन कुल 477 वृहद गो संरक्षण केन्द्र स्वीकृत हैं। जिसके सापेक्ष 301 केन्द्र निर्मित एवं क्रियाशील हैं, एवं 176 वृहद गो संरक्षण केन्द्र निर्माणाधीन हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी की निराश्रित गोवश सरक्षण के प्रति प्राथमिकता के दृष्टिगत संदर्भित योजनांतर्गत 2024-25 में जनपद अलीगढ, औरैया, अयोध्या, बदायूँ, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, भदोही, बिजनौर, चंदौली, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हाथरस, कन्नौज, कुशीनगर, मऊ, मैनपुरी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कौशाम्बी, सहारनपुर, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, कानपुर देहात, शामली, रायबरेली, वाराणसी तथा झाँसी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष गो संरक्षण केन्द्रो की स्थापना की जानी है। योजना के क्रियान्वयन से संबधित निर्गत शासनादेशानुसार केन्द्र के निर्माण हेतु धनराशि हस्तातरण से पूर्व जनपद में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है।

सदर्भित जनपदों में अवशेष निराश्रित गोवंशों की अधिक संख्या के दृष्टिगत नये केन्द्र बनाये जाने हेतु भूमि चिन्हित किये जाने की कार्यवाही तत्काल पूर्ण कराएँ। भूमि की चयन के समय यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि चिन्हित स्थान के लिए पहुँच मार्ग हो, भूमि निर्विवादित हो, हाई टेंशन पावर लाईन भूमि के ऊपर से न गुजर रही हो तथा जलभराव की समस्या से मुक्त हो।

अंत उक्त के क्रम में संबंधित जनपदों में निराश्रित गोवंश की संख्या के सापेक्ष न्यूनतम 01 हेक्टेयर भूमि की उपलब्धता के अनुसार गो संरक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी से अनुरोध कर भूमि का चिन्हाकन एवं पुर्नग्रहण आदेश सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराते हुये वृहद गो संरक्षण केन्द्रों हेतु नवीन प्रस्ताव निदेशालय को 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 आर0 एन0 सिंह)
निदेशक
प्रशासन एवं विकास/विभागाध्यक्ष

पत्रांक /सा0-2/ XII-619(भाग-3)/2024-25, तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1-संबंधित मण्डलीय, अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2-संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3-प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(डा0 आर0 एन0 सिंह)
निदेशक
प्रशासन एवं विकास/विभागाध्यक्ष

## आकार पत्र–1

## आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या–1126/भू0सु0–13, दिनॉक–17 सितम्बर 2013 द्वारा विकास खण्ड कुबेरनाथ के निर्माण हेतु ग्राम कोहरवलिया, तहसील–पडरौना के गाटा सख्या–537/1.197 हे0 का पुनर्ग्रहण किया गया था, जिसका अंकन राजस्व अभिलेखों मे अंकित है। उक्त आदेश इस शर्त के साथ निर्गत किया गया था कि "यदि भूमि निर्धारित उद्देश्य के प्रयोग में तीन वर्ष के अन्दर नही लायी जायेगी अथवा इतर प्रयोग में लायी जाती है तो उक्त भूमि स्वत: ग्राम सभा को वापस हो जायेगी।"

उप जिलाधिकारी, पडरौना के पुर्नग्रहण प्रस्ताव पत्र सख्या -392/रा0नि0 (का0) -2024, दिनाक 18.01.2024 एवं पत्रॉक–421/रा0नि0(का0)–2024, दिनॉक–29 फरवरी, 2024 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत भूमि वर्तमान में गॉव सभा के अधीन है, जिस पर विकास खण्ड कुबेर स्थान के निर्माण विषयक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। ऐसी दशा में बंजर के खाते मे दर्ज गाटा संख्या–537/1.197 हे0 भूमि पर गौ संरक्षण केन्द्र बनाये जाने हेतु पुनर्ग्रहित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित किया गया है।

उक्त के आलोक में शासनादेश संख्या–744/एक–1–2016–20(5)/2016 राजस्व अनुभाग–1, दिनांक 03.06.2026 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0–740/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक–3जून, 2016 का संशोधित अधिसूचना संख्या–687/एक–1–2020–20(5)/2016,दिनांक 06.07.2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै उमेश मिश्रा, जिलाधिकारी कुशीनगर संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक–03.06.2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ–6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/ स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

## अनुसूची

| क0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | गांव | गाटा सं0 | क्षेत्रफल (हे0 में) | भूमि की श्रेणी/ प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही हैं) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | कुशीनगर | पडरौना | सि0जो0 | कोहरवलिया | 537 | 1.000 | बंजर/श्रेणी 5–3–ड. | गौ संरक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु |

यदि भूमि निर्धारित उद्देश्य के प्रयोग में 03 वर्ष के अन्दर नही लायी जायेगी अथवा इतर प्रयोग में लायी जाती है तो उक्त भूमि स्वतः ग्रामसभा को वापस हो जायेगी।

( उमेश मिश्रा )
जिलाधिकारी,
कुशीनगर।

## कार्यालय जिलाधिकारी, कुशीनगर।

संख्या 724 /भूमिसुधार/पु0ग्र0आ0/2024, दिनांक 01 जून, 2024

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
2–उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, पडरौना।
3–ग्राम प्रधान, ग्राम सभा कोहरवलिया, तहसील पडरौना, जनपद कुशीनगर।

1.6.24

जिलाधिकारी,
कुशीनगर।

प्रेषक,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
कुशीनगर।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग
उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक ... /स्था0–2/2024–25 दिनॉक:– 1-7-2024

महोदय,

कृपया आपके पत्र सं0 1415/सा0–2/XII–619(भाग–3)/2024–25 दिनॉक 26–06–2024 के अनुपालन में चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में नवीन गो संरक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि का चिन्हांकन/पुर्नग्रहीत कर प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

**संलग्नक–यथोपरि।**

भवदीय

(डा0 रवीन्द्र प्रसाद)
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
कुशीनगर।

पत्रांक 296 /स्था0–2/2024–25 दिनॉक:–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1– अपर निदेशक–ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
कुशीनगर।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1–मुख्य अभियंता, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0,
29, कबीर मार्ग, निकट योजना भवन, क्लेस्क्वायर, लखनऊ।
2–मुख्य अभियंता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0,
लखनऊ।

पत्रांकः– /सा0–2/XII-619(भाग–3)/2024–25, दिनांक–

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत वृहद गो संरक्षण केन्द्रों के निर्माण की प्रथम किश्त की धनराशि रू0 80.00 लाख प्रति केन्द्र सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया वित्तीय वर्ष 2024–25 में आय–व्ययक में अनुदान संख्या–15 के अधीन लेखाशीर्षक–4403–पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय 800–अन्य व्यय–04 गो–संरक्षण केन्द्रों की स्थापना के अन्तर्गत मानक मद–24–वृहत निर्माण कार्य हेतु कुल रू0 14000.00 की धनराशि प्राविधानित है। शासनादेश संख्या–151/2024/1958(2)/सैंतीस–2–2024/003–5(2)/2018टीसी, दिनांक 26 सितम्बर, 2024 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत वृहद गो–संरक्षण केन्द्रों की स्थापना योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 19 केन्द्रों के निर्माण की प्रथम किश्त की कुल धनराशि रू0 1520.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुयी है।

चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में निम्नलिखित विवरण के अनुसार 19 वृहद गो–संरक्षण केन्द्रों के निर्माण हेतु प्रथम किश्त धनराशि रू0 80.00 लाख प्रति केन्द्र की दर से कुल धनराशि रू0 1520.00 लाख सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के बैंक खातों में हस्तानांतरित की जा चुकी है।

| क0 सं0 | कार्यदायी संस्था | बैंक का नाम खाता संख्या व आई0एफ0एस0सी0 कोड | जनपद | वृहद गो संरक्षण केन्द्र का नाम | प्रथम किश्त की धनराशि (लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1– | उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 | एच0 डी0एफ0 सी0 बैंक, शाखा 2/4सी, इन्दिरा नगर,लखनऊ। खाते का नाम–उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड खाता सं0–50100594402602 आई0एफ0एस0सी0–HDFC0009176 पैन नं0– AAAAU2337D जी0एस0टी0नं0– 09AAAAU2337D1ZQ | बाराबंकी | जमीन हुसैनाबाद | 80.00 |
| 2– | | | आगरा | फतेहपुरा | 80.00 |
| 3– | | | आगरा | विकमपुर | 80.00 |
| 4– | | | आगरा | भिड़ावली | 80.00 |
| 5– | | | आगरा | बमनईकला | 80.00 |
| 6– | | | बांदा | जलालपुर बॉगर | 80.00 |
| 7– | | | शाहजहॉपुर | बड़ागांव | 80.00 |
| | | | | योगः– | 560.00 |
| 8– | उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ, लिमि0(यू0पी0सी0एल0डी0एफ0) | आई0डी0बी0आई0 बैंक, लखनऊ खाते का नाम–उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ। खाता स0–0277104000207669 आई0एफ0एस0सी0–IBKL0000277 पैन नं0–AAAAU1496M जी0एस0टी0नं0– 09AAAAU1496M1ZX | हरदोई | गुरसंडा | 80.00 |
| 9– | | | हरदोई | मुबारकपुर | 80.00 |
| 10– | | | कुशीनगर | कोहरवलिया | 80.00 |
| 11– | | | हापुड़ | हिम्मतपुर | 80.00 |
| 12– | | | हापुड़ | पारपा | 80.00 |
| 13– | | | हापुड़ | हिण्डालपुर | 80.00 |
| 14– | | | मिर्जापुर | बबुरा रघुनाथ सिंह | 80.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | | मिर्जापुर | नौगवा | 80.00 |
| 16 | | | पीलीभीत | बहादुरपुर हुकमी | 80.00 |
| 17 | | | अयोध्या | कोटिया | 80.00 |
| 18 | | | अयोध्या | अंजरौली | 80.00 |
| 19 | | | अयोध्या | गनेशपुर | 80.00 |
| | | | | योगः– | 960.00 |
| | | | | महायोगः– | 1520.00 |

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को 10 जनपदों के 19 वृहद गो संरक्षण केन्द्रो के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 80.00 लाख प्रति केन्द्र की दर से कुल धनराशि रू0 1520.00 लाख हस्तांतरित की जा चुकी है। हस्तांतरित धनराशि से सम्बन्धित ट्रांजेक्शन शीट संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत उपयोग करने के पश्चात आवश्यक धनराशि निर्गत की जायेगी। कार्यदायी संस्था दी गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्बन्धित मु0प0चि0अ0 व जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरांत निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

3– कार्यदायी संस्थाये जिस जनपद हेतु धनराशि निर्गत की गयी है, उससे संबंधित धनराशि की प्राप्ति का प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध करायेंगें।

4–सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा डी0पी0आर0 मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। डी0पी0आर0 के परीक्षण तथा जिलाधिकारी से प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

5– इस सबंध में होने वाले व्यय धनराशि रू0 2804.20 लाख को चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–015 लेखाशीर्षक 4403008000400 गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना मानक मद 24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोपरि

भवदीय,

(डा0 पी0 एन0 सिंह)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास

पत्रांकः–2029/सा0–2/XII–619(भाग–3)/2024–25, दिनांक 14/10/24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बाराबंकी,आगरा, बांदा, शाहजहांपुर, हरदोई, कुशीनगर, हापुड़, मिर्जापुर, पीलीभीत एवं अयोध्या।

2–अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग आगरा, अयोध्या, बरेली, मिर्जापुर, गोरखपुर, मेरठ, चित्रकूट एवं लखनऊ मण्डल।

3–मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी,आगरा, बांदा, शाहजहांपुर, हरदोई, कुशीनगर, हापुड़, मिर्जापुर, पीलीभीत एवं अयोध्या।

4–जिलाधिकारी, बाराबंकी,आगरा, बांदा, शाहजहांपुर, हरदोई, कुशीनगर, हापुड, मिर्जापुर, पीलीभीत एवं अयोध्या।

5– प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(डा0 पी0 एन0 सिंह)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास

प्रेषक,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
कुशीनगर।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
कुशीनगर।

पत्रॉक–1266 /वृ.गो.सं.के/2024–25 दिनॉक– 25/1/2025

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि जनपद के विकास खण्ड–पड़रौना के ग्राम कोहरवलिया तप्पा चौरा बडगांव तहसील पडरौना में स्थित गाटा सं0 537 के रकया 1.00 हे0 में वृहद गो–संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिग्रहण उपरान्त चिन्हित की गयी है। जिसके लिए शासन स्तर से बजट भी प्राप्त हो गया है तथा उप जिलाधिकारी पडरौना स्तर से उक्त जमीन की पैमाईस भी हो गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त चिहिन्त भूमि का स्थलीय सत्यापन किया गया तो पाया गया कि उपरोक्त चिन्हित भूमि पर वृक्ष लगे है। वृहद गो–संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु उक्त चिन्हित भूमि में लगे वृक्ष का मूल्यांकन कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि ग्राम कोहरवलिया तप्पा चौरा बडगांव तहसील पडरौना में स्थित गाटा सं0 537 के रकबा 1.00 हे0 में लगे वृक्ष का मूल्यांकन कराने का कष्ट करे, जिससे शासन स्तर से नामित कार्यदायी संस्था द्वारा वृहद गो–संरक्षण केन्द्र के नव निर्माण कराया जा सके।

भवदीय,

( डा0 रवीन्द्र प्रसाद )
मुख्य पशुचिकित्साधिरी
कुशीनगर।

पत्रॉक–1266 /दिनॉकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. उप जिलाधिकारी, पडरौना, जनपद–कुशीनगर।
2. खण्ड विकास अधिकारी, पड़रौना जनपद–कुशीनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, महोदया, कुशीनगर को सादर अवलोकनार्थ।
4. जिलाधिकारी, महोदय, कुशीनगर को सादर अवलोकनार्थ।
5. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 गोरखपुर।

25-1-25

मुख्य पशुचिकित्साधिरी
कुशीनगर।

25/1/25

# ग्राम पंचायत-कोहरवलिया

विकास खण्ड - पडरौना; जनपद - कुशीनगर(उ0प्र0)

सुरेन्द्र गुप्ता
(ग्राम प्रधान)

निवास-
ग्राम-कोहरवलिया,पोस्ट-कुबेरस्थान
थाना-कुबेरस्थान,जनपद-कुशीनगर
मो0-9792656657,7860828492


दिनांक-27/02/25

प्रत्रांक

सेवा मे,

श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय
त० - पडरौना जिला - कुशीनगर

विषय: वन विभाग द्वारा मूल्यांकन किये गये वृक्षो को नीलाम करने हेतु अनुमति देने के सम्बन्ध मे

महोदय,

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत कोहरवलिया मे वृहद गो संरक्षण केन्द्र का निर्माण होना है उक्त भूमि मे कुछ वृक्ष पड रहे है। जिसका मूल्यांकन वन विभाग द्वारा कर दिया गया है। उक्त वृक्षो का नीलाम करना आवश्यक है।

अत: नीलामी हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करे।

संलग्नक -
वन विभाग का
मूल्यांकन रिपोर्ट

ग्राम प्रधान
मुहर हस्ताक्षर

NT
दि: 7 मार्च को नीलामी हेतु शामिल किया जाना सुनिश्चित करें
(signature) 1/03/25

प्रेषक,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
कुशीनगर।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमि0
(यू0पी0सी0एल0डी0एफ0)
प्रखण्ड–गोरखपुर।

पत्रॉक– 369 /वृ.गो.सं.के/2025–26 दिनॉक– 27-06-2025

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 2020/सा0–2 दिनॉक 14–10–2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत वृहद गो संरक्षण केन्द्र हेतु चिन्हित स्थल ग्राम–कोहरवलिया विकास खण्ड–पड़रौना जनपद–कुशीनगर में वृहद गो–संरक्षण केन्द्र के निर्माण की प्रथम किस्त की धनराशि रू0 80.00 लाख आपकी संस्था को हस्तानांतरित किया जा चुका है। परन्तु लगभग 08 माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त मात्र केवल 02 भूसा गोदाम एवं 01 कार्यालय कक्ष निर्माणाधीन है, जो निहित शासनादेशानुसार कार्य की प्रगति अत्यन्त न्यून है। उक्त निर्माण कार्य की प्रगति की लगातार समीक्षा उच्चाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। आप भलीभॉति अवगत भी है कि निराश्रित/बेसहारा गोवंशें के समुचित रख–रखाव के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य एजेण्डा में सम्मिलित है। उक्त निर्माण कार्य की प्रगति अत्यन्त न्यून के दृष्टिगत उच्चाधिकारियों द्वारा हमेशा नाराजगी व्यक्त की जा रही है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उक्त निर्माण कार्य की महता के दृष्टिगत निर्धारित अवधि तक वृहद गो–संरक्षण केन्द्र–कोहरवलिया का निर्माण कराना सुनिश्चित करें, जिसके प्रगति की स्थिति पुनः निदेशालय को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

(डा0 रवीन्द्र प्रसाद)
मुख्य पशुचिकित्साधिरी
कुशीनगर।

पत्रॉक– 369 /दिनॉकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1. उप जिलाधिकारी, पडरौना, जनपद–कुशीनगर।
2. खण्ड विकास अधिकारी, पड़रौना जनपद–कुशीनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, गोरखपुर।
4. मुख्य विकास अधिकारी, महोदया, कुशीनगर को सादर अवलोकनार्थ।
5. जिलाधिकारी, महोदय, कुशीनगर को सादर अवलोकनार्थ।
6. अपर निदेशक–ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, गोरखपुर मण्डल–गोरखपुर।
7. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

27-6-25
मुख्य पशुचिकित्साधिरी
कुशीनगर।

दूरभाष :7307280929
ईमेल: upcldfgkp1@gmail.com

# उ० प्र० राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि०

(यू० पी० सी० एल० डी० एफ०)
म० नं० 1031, आवास विकास कॉलोनी महादेव झारखण्डी कूड़ाघाट गोरखपुर-273008
(राजकीय निर्माण इकाई) प्रखण्ड गोरखपुर

पत्रांक: 286 / UPCLDF / 25-26

दिनांक : 20 . 12 . 2025

सेवा में

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
जनपद–कुशीनगर।

विषयः– जनपद कुशीनगर के गौ संरक्षण केन्द्र ग्राम कोहरवलिया तहसील पडरौना के निर्माण कार्य का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि शासनादेश सं० 151 / 2024 / 1958 / सैंतीस–2–2024 / 003–5(2) / 2018 टीसी, पशुधन अनुभाग–2 दिनांक 26 सितम्बर 2024 के द्वारा जनपद कुशीनगर के गौ संरक्षण केन्द्र ग्राम कोहरवलिया तहसील पडरौना का निर्माण कार्य हेतु शासन द्वारा यू०पी०सी०एल०डी०एफ० को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। उक्त निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त धनराशि का 100 प्रतिशत उपभोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र 42 I, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, प्रगति रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ रंगीन (02 नग) आपकी सेवा में इस आशय के साथ प्रेषित है कि अवशेष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त कराने की कृपा करें ताकि उक्त कार्य को ससमय पूर्ण किया जा सकें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
यू०पी०सी०एल०डी०एफ०
प्रखण्ड गोरखपुर

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार,

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, यू०पी०सी०एल०डी०एफ०, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, जनपद–कुशीनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जनपद–कुशीनगर।
4. मुख्य अभियन्ता महोदय, यू०पी०सी०एल०डी०एफ०, लखनऊ।
5. सम्बन्धित अवर / सहायक अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर धनराशि अवमुक्त कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता

प्रेषक,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
कुशीनगर।

सेवा में,

1– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/प्रान्तीय खण्ड,
लोक निर्माण विभाग–कसया, कुशीनगर।
2– अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0सी0एल0डी0एफ0,
प्रखण्ड–गोरखपुर।

पत्रांक 1474 /लेखा/भवन/2025–26/दिनांक 20-02-2026

विषयः– जनपद–कुशीनगर के नवीन वृहद गो संरक्षण केन्द्र ग्राम कोहरवलिया, तहसील पडरौना के निर्माण कार्यो के गुणवत्ता की जांच करनै के संबंध मे।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, प्रखण्ड गोरखपुर के पत्र सं0 286/यू0पी0सी0एल0डी0एफ0/2025–26 दिनांक 20–12–2025 के कम मे अवगत कराया गया है कि जनपद कुशीनगर के नवीन वृहद गो संरक्षण केन्द्र ग्राम कोहरवलिया, तहसील पडरौना का निर्माण कार्य हेतु शासन द्वारा स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष 100 प्रतिशत उपभोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं प्रगति रिपोर्ट तथा फोटोग्राफ आवश्यक कार्यवाही हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय मे उपलब्ध कराया गया है।

उक्त नवीन वृहद गो संरक्षण केन्द्र ग्राम कोहरवलिया, तहसील पडरौना का निर्माण कार्यो के गुणवत्ता की जांच अधोहस्ताक्षरी एवं आप लोगो की गठित त्रिस्तरीय टीम द्वारा किया जाना है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि दिनांक 21-2-26 को त्रिस्तरीय टीम द्वारा उक्त गो संरक्षण केन्द्र के गुणवत्ता की जांच कर आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय मे उपलब्ध कराये, ताकि प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अधोहस्ताक्षरी एवं जिलाधिकारी महोदय के संयुक्त हस्ताक्षर से पशुपालन निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जा सके।

भवदीय,

20/2/26
(डा0 ए0के0 सिंह)
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
कुशीनगर।

O/C

पत्रांक 1474 /लेखा/भवन/2025–26/दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1–निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2–अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।
3–जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
4–मुख्य विकास अधिकारी महोदया, कुशीनगर।
6–उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पडरौना, जनपद कुशीनगर।

20/2/26
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
कुशीनगर।

C/C

ग्राम पंचायत-कोहरवलिया
विकास खण्ड पडरौना, जनपद - कुशीनगर
पता:-
ग्राम-कोहरवलिया, पोस्ट-कुबेरस्थान
थाना-कुबेरस्थान, जनपद-कुशीनगर
सुरेन्द्र गुप्ता
(ग्राम प्रधान)

पत्रांक

06/02/2025

सेवा मे,
प्रभारी वनाधिकारी
सा० वा० कुशीनगर

विषय:- वृक्षों के मूल्यांकन के सम्बन्ध मे,

महोदय,

हमारे ग्राम पंचायत के अन्तर्गत वृहद गो संरक्षण केन्द्र कोहरवलिया का निर्माण होना है। यह निर्माण ग्राम पंचायत की बंजर भूमि आ० नं० 537 मे होना है। उक्त भूमि मे बहुत वृक्ष है। जिससे निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है।

अतः आपसे आग्रह है कि उक्त वृक्षों का मूल्यांकन रिपोर्ट देने की कृपा करें ताकि वृक्षों का नीलाम किया जा सके। तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सके।

पत्रांक 1813/37-1 दि० 06/02/25

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय वन अधिकारी, पडरौना को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वृक्षों का मूल्यांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

अग्रेषित
कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी
सा० वा० प्रभाग, कुशीनगर

प्रेषक,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
कुशीनगर।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
कुशीनगर।

पत्रॉक– /वृ.गो.सं.के/2024–25 दिनॉक– 25/01/2025

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि जनपद के विकास खण्ड–पड़रौना के ग्राम कोहरवलिया तप्पा चौरा बडगांव तहसील पडरौना में स्थित गाटा सं0 537 के रकबा 1.00 हे0 में वृहद गो–संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिग्रहण उपरान्त चिन्हित की गयी है। जिसके लिए शासन स्तर से बजट भी प्राप्त हो गया है तथा उप जिलाधिकारी पड़रौना स्तर से उक्त जमीन की पैमाईस भी हो गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त चिन्हित भूमि का स्थलीय सत्यापन किया गया तो पाया गया कि उपरोक्त चिन्हित भूमि पर वृक्ष लगे है। वृहद गो–संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु उक्त चिन्हित भूमि में लगे वृक्ष का मूल्यांकन कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि ग्राम कोहरवलिया तप्पा चौरा बडगांव तहसील पडरौना में स्थित गाटा सं0 537 के रकबा 1.00 हे0 में लगे वृक्षो का मूल्यांकन कराने का कष्ट करे, जिससे शासन स्तर से नामित कार्यदायी संस्था द्वारा वृहद गो–संरक्षण केन्द्र के नव निर्माण कराया जा सके।

भवदीय,

( डा0 रवीन्द्र प्रसाद )
मुख्य पशुचिकित्साधिरी
कुशीनगर।

पत्रॉक– 1266 /दिनॉकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. उप जिलाधिकारी, पडरौना, जनपद–कुशीनगर।
2. खण्ड विकास अधिकारी, पड़रौना जनपद–कुशीनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, गोरखपुर।
4. मुख्य विकास अधिकारी, महोदया, कुशीनगर को सादर अवलोकनार्थ।
5. जिलाधिकारी, महोदय, कुशीनगर को सादर अवलोकनार्थ।

25-1-25

मुख्य पशुचिकित्साधिरी
कुशीनगर।

Scanned with OKEN Scanner

वन विभाग(उत्तर प्रदेश सरकार)

(Department of Forest (Goverment of Uttar Pradesh)

# वृक्ष गिराने का अनुज्ञा पत्र

(शासनादेश संख्या– उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग–2488/14–5–2002–7/93 दिनांक 28/12/2002) (अधिनियम की धारा 5(4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित) प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय सामाजिक वानिकी प्रभाग, कुशीनगर

श्री/श्रीमती/कुमारी **इन्द्रजीत शर्मा** पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री **बाल कुंवर** जिला–**कुशीनगर** तहसील– **पडरौना** परगना–**सि0जो0** थाना–**कुबेरस्थान** डाकः **कुबेरस्थान**, ग्राम समा– **कोहरवलिया** ग्राम– **कोहरवलिया**

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा– 5 के अधीन वृक्ष (वृक्षों का गिराने के लिए अनुज्ञा पत्र गिराये जाने के सम्बन्ध में आपके आवेदन **दिनांक 12.06.2025** और जांच अधिकारी की सिफारिस के आधार पर वृक्ष/वृक्षों को गिराने/हटाने के लिए नीचे दिये गये विवरण के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की जाती है :–

| क्र0 सं0 | प्रजाति का नाम | 132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि (से.मी.में) | वृक्ष को गिराने का कारण | वन दरोगा द्वारा दिया गया 132 से.मी.की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि(से.मी) | वन दरोगा द्वारा दिया गया वृक्ष को गिराने का कारण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अकोल–32 पेड़ | **दर्जा व्यास** | ग्राम पंचायत कोहरवलिया के पोखरे पर स्थित वृक्ष, निमार्ण कार्य में बाधक (नीलाम लिया गया वृक्ष) | **दर्जा व्यास** | ग्राम पंचायत कोहरवलिया के पोखरे पर स्थित वृक्ष, निमार्ण कार्य में बाधक (नीलाम लिया गया वृक्ष) |
| | | 10–20 में 05 पेड | | 10–20 में 05 पेड | |
| | | 20–30 में 25 पेड | | 20–30 में 25 पेड | |
| | | 30–40 में 02 पेड | | 30–40 में 02 पेड | |
| 2 | रोइना–14 पेड | 10–20 में 03 पेड | | 10–20 में 03 पेड | |
| | | 20–30 में 10 पेड | | 20–30 में 10 पेड | |
| | | 30–40 में 01 पेड | | 30–40 में 01 पेड | |
| 3 | करमा–04 पेड | 40–50 में 04 पेड | | 40–50 में 04 पेड | |
| | | **योग–50** | | **योग–50** | |

एन एस सी. **जमानत से छूट** डाक घर का नाम.....X..... राशि.....X.....

**श्री इन्द्रजीत शर्मा पुत्र/पुत्री बाल कुंवर द्वारा (मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ) पातन हेतु प्रेषित आवेदन पत्र के आधार पर वृक्ष जो अभिलिखित प्लाट संख्या X रकबा–हे0** जिला कुशीनगर, **विकास खण्ड**–.पडरौना, **तहसील** ग्रामसभा– कोहरवलिया **(ग्राम पंचायत कोहरवलिया के पोखरे पर स्थित वृक्ष, निमार्ण कार्य में बाधक, नीलाम लिया गया वृक्ष)** थाना–कुबेरस्थान में स्थित है।

1. आवेदक ने प्रत्येक गिरे हुए वृक्ष के स्थान पर दस पौधे रोपित करने और उनकी पश्यातवर्ती देख–रेख के लिए डाक घर बचत पासबुक/राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रति पौध 1000/रू0 समक्ष प्राधिकारी को पदनाम से गिरवी रखी गयी प्रतिभूति की धनराशि उक्त पौधों की स्थापना पर छः वर्ष के पश्चात् वापस कर दी जायेगी। .X
2. जिस दिन से कटान शुरू होगी– अनुज्ञा धारी की यह जिम्मेदारी होगी की वह पातन प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी को जिस तिथि से पातन पत्र जारी हो रहा है वह सूचना करेंगा ताकि शासनादेश संख्या 434 के प्रस्तर में दिये गये निर्देशों की वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुपालन सुरक्षित किया जा सके।
3. सेक्शन अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार धनराशि जमा करा के आवेदक को पातन अनुज्ञा की प्रति हस्तगत करायें एवं अनुपालन आख्या से प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को अवगत करा दें।

4. अनुमति शुल्क की राशि 100 रूपया प्रति वृक्ष रेंज कार्यालय में जमा करायें। **(ई–बुक सं0–13034/77 दिनांक 09.10.2025 द्वारा मु0 5000 रू0 कटान शुल्क पडरौना रेंज** में जमा)।
5. इस पातन अनुज्ञा हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के सेक्शन अधिकारी पातन अनुज्ञा अधिकारी नियुक्त किये जाते है, जो कि शासनादेश संख्या 434/14--572013 दिनांक 11/03/2013 में वर्णित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगें।
6. यह पातन अनुज्ञा दिनांक **04.02.2026 से 17.02.2026** तक विधिमान्य होगा।
7. उक्त वृक्षों का कटान करनें के उपरान्त सक्षम अधिकारी से अभिवहन पास प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रकाष्ठ का अन्यत्र जगह ढुलान किया जायेगा।

**कार्यालय प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी, कुशीनगर।**

पत्रांक 1784/37-1 दिनांक 04/02/26

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रसारित।**

1. अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर।
2. वन क्षेत्राधिकारी पडरौना जिला कुशीनगर।
3. थानाध्यक्ष कुबेरस्थान, जिला कुशीनगर।
4. उप जिलाधिकारी, पडरौना, जिला कुशीनगर।
5. प्रभारी सुरक्षा बल, कुशीनगर।
6. ग्राम प्रधान कोहरवलिया पोस्ट व थाना कुबेरस्थान, कुशीनगर।

04/02/26

प्रभागीय वनाधिकारी
कुशीनगर

**(Department of Forest (Goverment of Uttar Pradesh)**

## वृक्ष गिराने का अनुज्ञा पत्र

(शासनादेश संख्या– उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग–2488/14–5–2002–7/93 दिनांक 28/12/2002) (अधिनियम की धारा 5(4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित) प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय सामाजिक वानिकी प्रभाग, कुशीनगर

श्री/श्रीमती/कुमारी **इन्द्रजीत शर्मा** पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री **बाल कुंवर** जिला–**कुशीनगर** तहसील– **पडरौना** परगना–**सि0जो0** थाना–**कुबेरस्थान** डाक: **कुबेरस्थान**, ग्राम समा– **कोहरवलिया** ग्राम– **कोहरवलिया**

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा– 5 के अधीन वृक्ष (वृक्षों का गिराने के लिए अनुज्ञा पत्र गिराये जाने के सम्बन्ध में आपके आवेदन **दिनांक 12.06.2025** और जांच अधिकारी की सिफारिस के आधार पर वृक्ष/वृक्षों को गिराने/हटाने के लिए नीचे दिये गये विवरण के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की जाती है :–

| क्र0 सं0 | प्रजाति का नाम | 132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि (से.मी.में) | वृक्ष को गिराने का कारण | वन दरोगा द्वारा दिया गया 132 से.मी.की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि(से.मी) | वन दरोगा द्वारा दिया गया वृक्ष को गिराने का कारण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सिरस–13 पेड़ | दर्जा व्यास | ग्राम पंचायत कोहरवलिया के पोखरे पर स्थित वृक्ष निमार्ण कार्य में बाधक | दर्जा व्यास | ग्राम पंचायत कोहरवलिया के पोखरे पर स्थित वृक्ष निमार्ण कार्य में बाधक |
| | | 10–20 में 08 पेड | | 10–20 में 08 पेड | |
| | | 20–30 में 04 पेड | | 20–30 में 04 पेड | |
| | | 30–40 में 01 पेड | | 30–40 में 01 पेड | |
| 2 | आम–17 पेड | 10–20 में 05 पेड | | 10–20 में 05 पेड | |
| | | 20–30 में 03 पेड | | 20–30 में 03 पेड | |
| | | 30–40 में 01 पेड | | 30–40 में 01 पेड | |
| | | 40–50 में 02 पेड | | 40–50 में 02 पेड | |
| | | 50–60 में 02 पेड | | 50–60 में 02 पेड | |
| | | 60–70 में 01 पेड | | 60–70 में 01 पेड | |
| | | 80–90 में 02 पेड | | 80–90 में 02 पेड | |
| | | 90 से उपर 01 पेड | | 90 से उपर 01 पेड | |
| 3 | जामुन–13 पेड | 30–40 में 02 पेड | | 30–40 में 02 पेड | |
| | | 40–50 में 02 पेड | | 40–50 में 02 पेड | |
| | | 50–60 में 05 पेड | | 50–60 में 05 पेड | |
| | | 60–70 में 04 पेड | | 60–70 में 04 पेड | |
| 4 | महुआ–04 पेड | 10–20 में 02 पेड | | 10–20 में 02 पेड | |
| | | 80–90 में 02 पेड | | 80–90 में 02 पेड | |
| 5 | ताड़–03 पेड | 40–50 में 02 पेड | | 40–50 में 02 पेड | |
| | | 50–60 में 01 पेड | | 50–60 में 01 पेड | |
| | | योग–50 | | योग–50 | |

एन एस सी. **जमानत से छूट** डाक घर का नाम..... X ..... राशि..... X .....

**श्री इन्द्रजीत शर्मा पुत्र/पुत्री बाल कुंवर द्वारा (मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ) पातन हेतु प्रेषित आवेदन पत्र के आधार पर वृक्ष जो अभिलिखित प्लाट संख्या X रकबा–हे0 जिला कुशीनगर, विकास खण्ड–.पडरौना, तहसील, ग्रामसभा– कोहरवलिया (ग्राम पंचायत कोहरवलिया के पोखरे पर स्थित वृक्ष निमार्ण कार्य में बाधक, नीलाम लिया गया वृक्ष)** थाना–कुबेरस्थान में स्थित है।

1. आवेदक ने प्रत्येक गिरे हुए वृक्ष के स्थान पर दस पौधे रोपित करने और उनकी पश्यातवर्ती देख–रेख के लिए डाक घर बचत पासबुक/राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रति पौध 1000/रू0 समक्ष प्राधिकारी को

पदनाम से गिरवी रखी गयी प्रतिभूति की धनराशि उक्त पौधों की स्थापना पर छः वर्ष के पश्चात् वापस कर दी जायेगी। X

2. जिस दिन से कटान शुरू होगी– अनुज्ञा धारी की यह जिम्मेदारी होगी की वह पातन प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी को जिस तिथि से पातन पत्र जारी हो रहा है वह सूचना करेंगा ताकि शासनादेश संख्या 434 के प्रस्तर में दिये गये निर्देशों की वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुपालन सुरक्षित किया जा सके।
3. सेक्शन अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार धनराशि जमा करा के आवेदक को पातन अनुज्ञा की प्रति हस्तगत करायें एवं अनुपालन आख्या से प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को अवगत करा दें।
4. अनुमति शुल्क की राशि 100 रूपया प्रति वृक्ष रेंज कार्यालय में जमा करायें। **(ई–बुक सं0–13034/67 दिनांक 28.07.2025 द्वारा मु0 5000 रू0 कटान शुल्क पडरौना रेंज** में जमा)।
5. इस पातन अनुज्ञा हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के सेक्शन अधिकारी पातन अनुज्ञा अधिकारी नियुक्त किये जाते है, जो कि शासनादेश संख्या 434/14–572013 दिनांक 11/03/2013 में वर्णित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगें।
6. यह पातन अनुज्ञा दिनांक **29.08..2025 से 22.09.2025** तक विधिमान्य होगा।
7. उक्त वृक्षों का कटान करने के उपरान्त सक्षम अधिकारी से अभिवहन पास प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रकाष्ठ का अन्यत्र जगह ढुलान किया जायेगा।

**कार्यालय प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी, कुशीनगर।**

पत्रांक 438/37-1 दिनांक 27/08/25

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रसारित।**

1. अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर।
2. वन क्षेत्राधिकारी पडरौना जिला कुशीनगर।
3. थानाध्यक्ष कुबेरस्थान, जिला कुशीनगर।
4. उप जिलाधिकारी, पडरौना, जिला कुशीनगर।
5. प्रभारी सुरक्षा बल, कुशीनगर।
6. ग्राम प्रधान कोहरवलिया पोस्ट व थाना कुबेरस्थान, कुशीनगर।

27/08/25

प्रभागीय वनाधिकारी
कुशीनगर

प्रभागीय वनाधिकारी
कुशीनगर

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,सामाजिक वानिकी वन प्रभाग कुशीनगर

E-Mail Address dfopadrauna@yahoo.co.in

पत्रांक 1957 /37–1 दिनांक, पडरौना, फरवरी 24 /2025

सेवा में,

सुरेन्द्र गुप्ता (ग्राम प्रधान)
कोहरवलिया, पो0–कुबेरस्थान,
थाना–कुबेरस्थान, जनपद–कुशीनगर।

विषय :– ग्राम पंचायत कोहरवलिया में पोखरे पर स्थित वृक्षों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– क्षेत्रीय वन अधिकारी पडरौना का पत्रांक मेमो/37–1 दिनांक 21.02.2025.

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में विषयगत विभिन्न प्रजाजियों के कुल 135 वृक्षों की जांच/मूल्यांकन क्षेत्रीय वन अधिकारी पडरौना से कराई गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी पडरौना द्वारा अपने पत्र दिनांक 21.02.2025 से उपरोक्त वृक्षों की जांच/मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सिरस, कुकाठ, ताड़, गूलर, करमा, अवकठ, आम, बडहर, महुआ, अशोक, बैर, जामुन, पीपल, सेमल व बेल कुल 135 वृक्षों का सीना माप निम्न प्रकार दर्शाया गया है। जिसकी मूल्यांकन धनराशि रू0 205100.00 (रू0 दो लाख पांच हजार एक सौ मात्र) आगणन किया गया है, (छायाप्रति संलग्न) उक्त वृक्ष के विक्रय मूल्य पर क्रेता द्वारा नियमानुसार जी0एस0टी0 18: शुल्क जमा करना होगा।

| क्र0सं0 | प्रजाति | गोलाई मी0 में | दर्जा व्यास | मूल्यांकन मूल्य | अनुमानित मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | सिरस | 0.51 | 10–20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 2 | –„– | 0.43 | 10–20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 3 | –„– | 0.50 | 10–20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 4 | –„– | 0.43 | 10–20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 5 | –„– | 1.07 | 10–20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 6 | कुकाठ | 0.61 | 10–20 | 1800 1/3 | 600.00 |
| 7 | सिरस | 0.81 | 10–20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 8 | –„– | 0.85 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 9 | कुकाठ | 0.50 | 10–20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 10 | ताड | 1.50 | 40–50 | 3500 1/3 | 1167.00 |
| 11 | कुकाठ | 0.62 | 10–20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 12 | –„– | 0.89 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 13 | गूलर | 1.39 | 30–40 | 1800 1/3 | 600.00 |
| 14 | सिरस | 0.33 | 10–20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 15 | करमा | 0.86 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 16 | अवकठ | 0.66 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 17 | सिरस | 0.69 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 18 | –„– | 0.49 | 10–20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 19 | –„– | 0.52 | 10–20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 20 | –„– | 0.42 | 10–20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 21 | करमा | 0.85 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 22 | –„– | 0.61 | 10–20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 23 | सिरस | 0.81 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 24 | कुकाठ | 0.60 | 10–20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 25 | करमा | 0.81 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 26 | कुकाठ | 0.91 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 27 | आम | 1.72 | 50–60 | 14500 1/3 | 4833.00 |
| 28 | कुकाठ | 0.89 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 29 | –„– | 0.82 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 30 | बड़हर | 1.39 | 40–50 | 3500 1/3 | 1167.00 |
| 31 | महुआ | 1.32 | 40–50 | 10500 1/3 | 3500.00 |
| 32 | अशोक | 0.64 | 30–40 | 1800 1/3 | 600.00 |
| 33 | ताड़ | 1.46 | 40–50 | 3500 1/3 | 1167.00 |
| 34 | कुकाठ | 0.93 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 35 | –„– | 1.04 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 36 | –„– | 0.58 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 37 | –„– | 0.64 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | —„— | 0.70 | 20—30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 39 | —„— | 0.69 | 20—30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 40 | —„— | 0.70 | 20—30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 41 | —„— | 0.80 | 20—30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 42 | —„— | 0.46 | 20—30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 43 | आम | 2.60 | 70 के अन्दर | 34000 1/3 | 11333.00 |
| 44 | —„— | 0.74 | 20—30 | 1850 1/3 | 617.00 |
| 45 | —„— | 0.70 | 20—30 | 1850 1/3 | 617.00 |
| 46 | —„— | 0.43 | 10—20 | 650 1/3 | 217.00 |
| 47 | कुकाठ | 0.45 | 10—20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 48 | —„— | 0.85 | 20—30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 49 | —„— | 1.11 | 30—40 | 1800 1/3 | 600.00 |
| 50 | —„— | 0.55 | 10—20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 51 | —„— | 0.76 | 20—30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 52 | महुआ | 2.60 | 70 के अन्दर | 34000 1/3 | 11333.00 |
| 53 | कुकाठ | 0.78 | 20—30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 54 | आम | 1.60 | 50—60 | 14500 1/3 | 4833.00 |
| 55 | कुकाठ | 0.64 | 20—30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 56 | —„— | 0.72 | 20—30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 57 | —„— | 0.70 | 20—30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 58 | —„— | 0.57 | 10—20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 59 | —„— | 0.40 | 10—20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 60 | —„— | 0.82 | 20—30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 61 | ताड़ | 1.62 | 40—50 | 3500 1/3 | 1167.00 |
| 62 | कुकाठ | 0.74 | 20—30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 63 | बैर | 0.62 | 10—20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 64 | —„— | 0.88 | 20—30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 65 | कुकाठ | 0.76 | 20—30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 66 | —„— | 0.58 | 10—20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 67 | —„— | 0.80 | 20—30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 68 | —„— | 0.77 | 20—30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 69 | —„— | 0.78 | 20—30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 70 | —„— | 0.75 | 20—30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 71 | —„— | 0.78 | 20—30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 72 | —„— | 0.50 | 10—20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 73 | आम | 2.65 | 70 से उपर | 34000 1/3 | 11333.00 |
| 74 | कुकाठ | 0.64 | 20—30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 75 | —„— | 0.62 | 10—20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 76 | आम | 1.50 | 40—50 | 10500 1/3 | 3500.00 |
| 77 | कुकाठ | 0.60 | 10—20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 78 | —„— | 1.01 | 30—40 | 1800 1/30 | 600.00 |
| 79 | —„— | 1.09 | 30—40 | 1800 1/30 | 600.00 |
| 80 | —„— | 0.81 | 10—20 | 450 1/30 | 150.00 |
| 81 | —„— | 0.81 | 20—30 | 950 1/30 | 317.00 |
| 82 | जामुन | 2.15 | 60—70 | 23500 1/3 | 7833.00 |
| 83 | आम | 1.50 | 40—50 | 10500 1/3 | 3500.00 |
| 84 | —„— | 0.60 | 10—20 | 650 1/3 | 217.00 |
| 85 | —„— | 0.50 | 10—20 | 650 1/3 | 217.00 |
| 86 | —„— | 0.62 | 10—20 | 650 1/3 | 217.00 |
| 87 | —„— | 0.66 | 20—30 | 1850 1/3 | 617.00 |
| 88 | —„— | 0.40 | 10—20 | 650 1/3 | 217.00 |
| 89 | जामुन | 2.20 | 70 से उपर | 34000 1/3 | 11333.00 |
| 90 | कुकाठ | 0.75 | 20—30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 91 | बड़हर | 1.00 | 20—30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 92 | पीपल | 6.00 | 70 से उपर | 11000 1/3 | 3667.00 |
| 93 | कुकाठ | 0.80 | 20—30 | 950 1/30 | 317.00 |
| 94 | —„— | 0.66 | 20—30 | 950 1/30 | 317.00 |
| 95 | —„— | 0.54 | 10—20 | 450 1/30 | 150.00 |
| 96 | जामुन | 1.90 | 60—70 | 23500 1/3 | 7833.00 |
| 97 | जामुन | 1.75 | 60—70 | 23500 1/3 | 7833.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | कुकाठ | 0.80 | 20–30 | 950 1/30 | 317.00 |
| 99 | –„– | 0.94 | 30–40 | 1800 1/30 | 600.00 |
| 100 | जामुन | 0.99 | 30–40 | 4500 1/3 | 1500.00 |
| 101 | –„– | 1.60 | 50–60 | 14500 1/3 | 4833.00 |
| 102 | –„– | 1.75 | 50–60 | 14500 1/3 | 4833.00 |
| 103 | –„– | 0.97 | 30–40 | 4500 1/3 | 1500.00 |
| 104 | पीपल | 5.00 | 70 से उपर | 11000 1/3 | 3667.00 |
| 105 | आम | 3.00 | 70 के अन्दर | 34000 1/3 | 11333.00 |
| 106 | कुकाठ | 0.40 | 10–20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 107 | –„– | 0.87 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 108 | जामुन | 1.50 | 40–50 | 10500 1/3 | 3500.00 |
| 109 | कुकाठ | 0.75 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 110 | –„– | 0.60 | 10–20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 111 | –„– | 0.70 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 112 | –„– | 0.66 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 113 | –„– | 0.76 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 114 | –„– | 0.90 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 115 | जामुन | 1.75 | 60–70 | 14500 1/3 | 4833.00 |
| 116 | –„– | 1.75 | 60–70 | 14500 1/3 | 4833.00 |
| 117 | आम | 1.00 | 30–40 | 4500 1/3 | 1500.00 |
| 118 | जामुन | 1.90 | 60–70 | 23500 1/3 | 7833.00 |
| 119 | –„– | 1.50 | 50–60 | 14500 1/3 | 4833.00 |
| 120 | आम | 2.00 | 60–70 | 23500 1/3 | 7833.00 |
| 121 | सेमल | 1.60 | 50–60 | 5500 1/3 | 1833.00 |
| 122 | महुआ | 2.55 | 70 से उपर | 34000 1/3 | 11333.00 |
| 123 | महुआ | 1.25 | 30–40 | 1800 1/3 | 600.00 |
| 124 | बेल | 0.80 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 125 | कुकाठ | 0.82 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 126 | –„– | 0.67 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 127 | –„– | 1.10 | 30–40 | 1800 1/3 | 600.00 |
| 128 | –„– | 0.66 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 129 | –„– | 0.69 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 130 | –„– | 0.66 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 131 | –„– | 1.08 | 30–40 | 1800 1/3 | 600.00 |
| 132 | –„– | 0.82 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 133 | –„– | 0.50 | 10–20 | 450 1/3 | 150.00 |
| 134 | –„– | 0.89 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| 135 | –„– | 0.66 | 20–30 | 950 1/3 | 317.00 |
| | | | | कुल योग :– | 205100.00 |

अतः नीलामी के उपरान्त वृक्ष को काटने/पातन अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र एवं वांछित अभिलेख पूर्ण कर आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, ताकि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके। विवरण निम्न प्रकार है :–

1. क्रेता द्वारा उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।
2. कार्यादेश की प्रमाणित छायाप्रति।
3. खसरा/खतौनी।
4. शपथ–पत्र।
5. आधार कार्ड की छायाप्रति।
6. वृक्ष स्वामी का फोटो तथा वृक्ष का फोटो।
7. मोबाईल नं0।

(वरूण सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
कुशीनगर

संख्याः– 1957/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय वन अधिकारी, पडरौना को उनके पत्र दिनांक 21.02.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

27.2.2025

29/02/25

(वरूण सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
कुशीनगर

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, पड़रौना, कुशीनगर

पत्रांक मेमो /37-1 दिनांक, पड़रौना, फरवरी 21/2025.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,

सा० वा० प्रभाग, कुशीनगर।

विषय :- ग्राम पंचायत कोहरबलिया में पोखरे पर स्थित वृक्षों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक 1813/37-1 दिनांक 06.02.2025.

महोदय,

आपके आदेशानुसार ग्राम पंचायत कोहरबलिया के अन्तर्गत वृहद गो संरक्षण केन्द्र निर्माण की बंजर भूमि आ० नं० 537 में बाधक वृक्षों का जाँच/मूल्यांकन श्री राम ध्यान पाण्डेय वन दरोगा के द्वारा कराई गयी है। उनके द्वारा की गई मूल्यांकन के अनुसार सिरस, कुकाठ, ताड़, गूलर, कमा, अवकट, आम, बड़हर, महुआ, अशोक, बैर, जामुन, पीपल, सेमल व बेल कुल 136 वृक्षों का कुल मु० 205100=00 का आगणन किया गया है।

अतः वन दरोगा के मूल्यांकन रु० 205100=00 से सहमत होते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- वन दरोगा की मूल्यांकन रिपोर्ट मूल में।

भवदीय,

Joyant

क्षेत्रीय वन अधिकारी
पडरौना-कुशीनगर

विवेक अग्रवाल
कार्य-

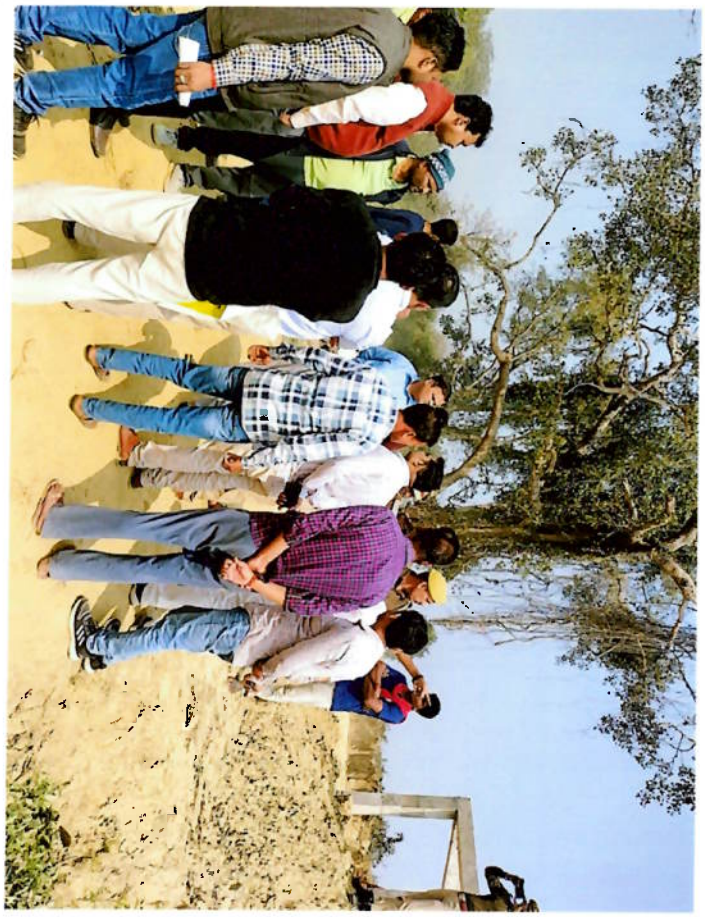

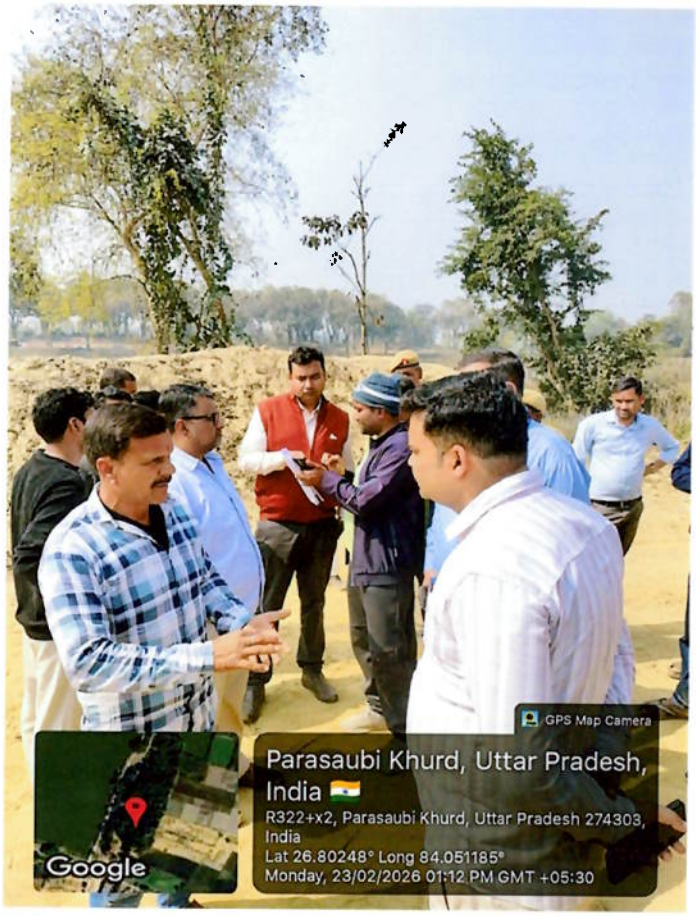
GPS Map Camera
Parasaubi Khurd, Uttar Pradesh, India
R322+x2, Parasaubi Khurd, Uttar Pradesh 274303, India
Lat 26.80248° Long 84.051185°
Monday, 23/02/2026 01:12 PM GMT +05:30
Google

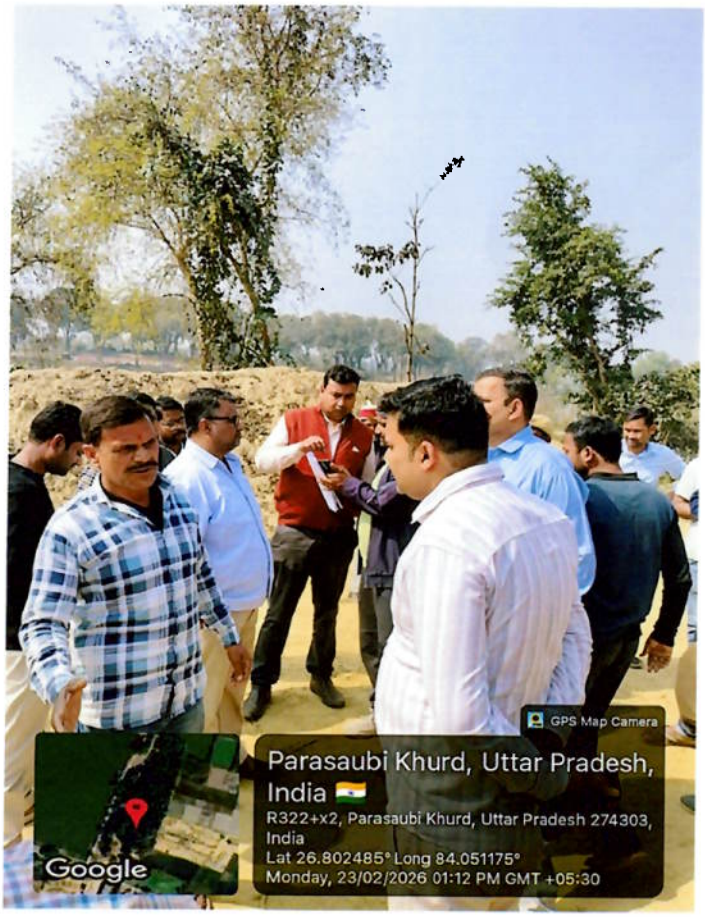
GPS Map Camera
Parasaubi Khurd, Uttar Pradesh, India
R322+x2, Parasaubi Khurd, Uttar Pradesh 274303, India
Lat 26.802485° Long 84.051175°
Monday, 23/02/2026 01:12 PM GMT +05:30
Google

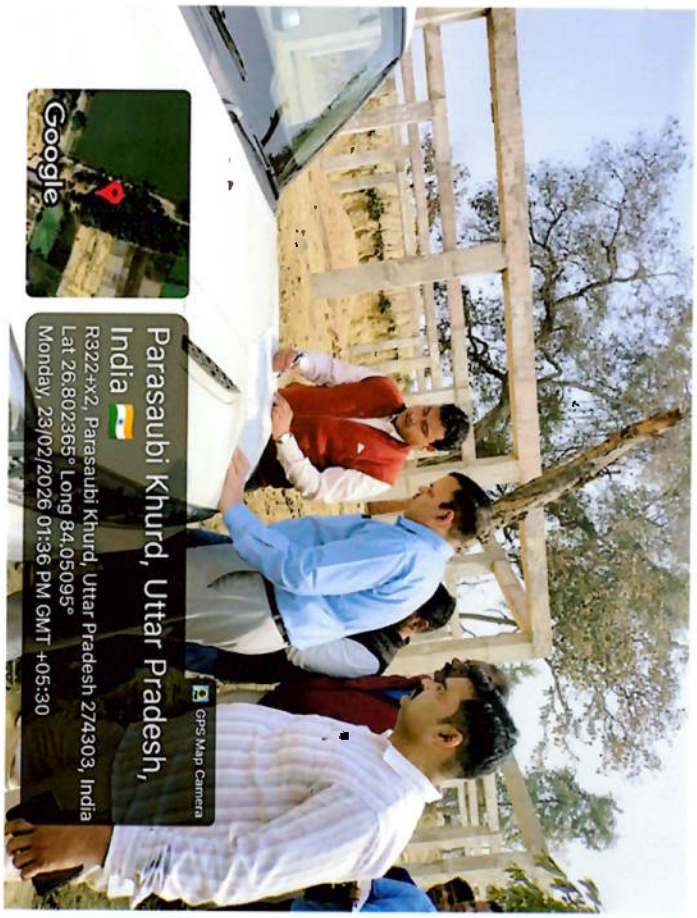
Google
Parasaubi Khurd, Uttar Pradesh, India
R322+x2, Parasaubi Khurd, Uttar Pradesh 274303, India
Lat 26.802365° Long 84.05095°
Monday, 23/02/2026 01:36 PM GMT +05:30
GPS Map Camera